जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-15.01.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म करने मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 27.12.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंकुर पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम दथैड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरी बरामदः-</u>

दिनांक 14.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध छुरी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.आरिफ पुत्र साजिद निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के मामले में लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 21/11/2024 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री शुभम पुत्र सुदेश निवासी मौहल्ला आजादनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के पिता श्री सुदेश को अभियुक्तगण द्वारा घर से बुलाकर ले जाने व वापस घर न आने के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात दिनाँक 14/01/2025 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत खाली प्लाट में एक मानव कंकाल मिला था जिसकी पहचान परिजनों द्वारा अपहृत सुदेश के रुप में की गयी थी। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना आदर्शमण्डी को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 15/01/2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के मामले में लिप्त 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्तगण रवि व बाल सिंह नें पूछताछ पर बताया कि सुदेश (मृतक) को मजदूरी पर ले गये थे। दिनाँक 13/11/2024 को हम सुदेश को अपने साथ ले गये तथा हमने शराब पी इसी दौरान हम लोगो में मजदूरी के पैसो को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी थी। मारपीट में सुदेश की मृत्यु हो गयी हमने सुदेश के शव को छिपाने के उद्देश्य से जला दिया था।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.रवि पुत्र बाल सिंह निवासी मौहल्ला आजादनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.बाल सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी मौहल्ला आजादनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 4,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2013 में अभियुक्त अरुण पुत्र नरेन्द्र निवासी मौहल्ला साकेत कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 01/2013 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2008 में अभियुक्त साजिद उर्फ हाफिज पुत्र सईद निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 488/2008 धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.अरुण पुत्र नरेन्द्र निवासी मौहल्ला साकेत कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.साजिद उर्फ हाफिज पुत्र सईद निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI